न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1167–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.3.14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक अपील 624/बी–121/12–13

रामदयाल पिता तुलाराम बजारा
निवासी ग्राम कहुआ तहसील अमरवाड़ा
जिला छिंदवाड़ा

----- आवेदक

विरूद्ध

चैना पिता चमरू बंजारा
निवासी ग्राम कहुआ, तहसील अमरवाड़ा
जिला छिंदवाड़ा

----- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. ठाकुर।

आदेश :
(आज दिनांक 01-10-2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक अपील 624/बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 28–3–14 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा कहुआ तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 47/2, 51/2 कुल रकबा 682 हैक्टर कृषि भूमि आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी हक दर्ज है, जिसका वह मालिक काबिज है एवं मौजा कहुआ तह. अमरवाड़ा में स्थित खसरा नं. 42/3 रकबा 2.498 हैक्टर भूमि अनावेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अनावेदक के खसरा नं. 42/3 के दक्षिण दिशा की मेढ़

से स्थाई कच्चा रास्ता है, जिसका उपयोग आवेदक तथा ग्राम के अन्य कृषक अपने खेतों में कृषि कार्य करने हेतु आने जाने कृषि उपकरण बैलगाड़ी बैल आदि ले जाने में बहुत पूर्व से करते आ रहे हैं । उक्त निस्तार ग्राम के निस्तार पत्रक में दर्ज है । आवेदक अपने भूमिस्वामी हक के खेत में कृषि कार्य हेतु अनावेदक के खसरा नं. 42/3 की दक्षिण मेढ़ पर निर्मित कच्ची सड़क का उपयोग अपने पूर्वज के समय से करता आ रहा है । दिनांक 01-1-10 को आवेदक जब उक्त मेढ़ से अपने मवेशी चराई के लिए अपने खेत पर जा रहा था, तब अनावेदक द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया । आवेदक द्वारा संहिता की धारा 253 के तहत एस.डी.ओ. के न्यायालय में अनावेदक के विरूद्ध आवेदन पेश किया गया कि निस्तार पत्रक में अभिलिखित मार्ग को पुनः खुलवाया जावे । अनुविभागीय अधिकारी ने पटवारी प्रतिवेदन, साक्षियों के कथन तथा निस्तार पत्रक प्रविष्टि के आधार पर अनावेदक को रूढ़िगत रास्ते में किए गए अवरोध को हटाने तथा रूपये 3000/- का अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश दिनांक 31.5.12 को पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने कलेक्टर छिंदवाड़ा के न्यायालय में अपील की जो आदेश दिनांक 28.1.13 द्वारा स्वीकार की गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये है कि संहिता में निस्तार का शाब्दिक अर्थ है पार लगाना – निस्तार वह साधन है जिससे ग्रामवासी कृषक को अपने कृषक जीवन को सुविधापूर्वक बिताने में सहायता मिले । इसी तथ्य के आधार पर ग्राम के निस्तार पत्रक के पृष्ठ क्रमांक 13 पर स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि काश्तकार एक दूसरे की मेढ़ पर से अपने खेत जोतने-बोने के लिए मवेशी और काश्तकारी आजौर बिना रोक टोक ले जाते हैं । उक्त निस्तार पत्रक की सत्यप्रतिलिपि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश की थी जो पृष्ठ क्रमांक 73 पर संलग्न है जिसकी एक प्रति अनावेदक को दी गई है जिसकी पावती पृष्ठ 69 पर संलग्न है । कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 131 एवं 253 के प्रावधा

अंतर की अनदेखा की गई है तथा निस्तार पत्रक में दर्ज प्रविष्टि को भी अनदेखी की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेटर एवं अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेशों में उल्लिखित की गई यह राय (opinion) कि उभयपक्षों के मध्य रास्ते का विवाद है जिसका निराकरण संहिता की धारा 131 के अंतर्गत किया जाना चाहिए था । उक्त राय उल्लिखित किए जाने में इस तथ्य की अनदेखी की गई है कि संहिता की धारा 131 के तहत ऐसे रूढिगत निस्तार या रास्ते का निराकरण किया जाता है जो निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं होते हैं किंतु मौके पर निस्तार में निरंतर होते हैं, जब कोई निस्तार, निस्तार पत्रक में अभिलिखित होता है तब उसका निराकरण संहिता की धारा 253 के तहत किए जाने का प्रावधान निहित है । इस संबंध में उनके द्वारा 1963 आर.एन. 141 को उद्धरित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण में निर्णय हेतु विधि का सारवान प्रश्न निहित है क्योंकि धारा 131 में स्थल जाच एव साक्ष्य के माध्यम से रूढि प्रमाणित करना होता है जबकि निस्तार पत्रक में दर्ज निस्तार का उपयोग करने का कृषक का कानूनी अधिकार होता है उसमें निस्तार की रूढि प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है । निस्तार में बाधा उत्पन्न होने पर संहिता की धारा 253 के तहत कार्यवाही की जाती है । प्रकरण में संलग्न निस्तार पत्रक में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार आवेदक को अनावेदक के खसरा नं. 47/3 की दक्षिण दिशा की मेढ से अपने खेत खसरा न. 47/2 51/2 तक जाने मवेशी कृषि औजार लाने ले जाने का अधिकार प्राप्त है । इसी विधि के पालन में एस.डी.ओ. द्वारा संहिता की धारा 253 के तहत कार्यवाही कर अनावेदक को मेढ से अवरोध हटाने का आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है ।

यह तर्क दिया गया कि एस.डी.ओ. द्वारा संहिता में निहित प्रावधानों के तहत विधिसम्मत आदेश पारित कर अनावेदक के अवरोध हटाने का आदेश दिया गया है । जिलाध्यक्ष द्वारा एस.डी.ओ. के विधिसम्मत आदेश को निरस्त कर यह निष्कर्ष दिये जाने में कि उभयपक्ष के मध्य रास्ते का विवाद है जिसे संहिता की धारा 131 के तहत वर्णित प्रावधानों के तहत निराकृत किया जाना चाहिए इस तथ्य की अनदेखी की गई है कि उक्त आदेश एक और मुकदमा का आधार

होगा जो कि लोकनीति के विरूद्ध है । इस संबंध मे आवेदक अधिवक्ता द्वारा 1988 (1) एम.पी.डब्लू.एन 162 का हवाला दिया गया है । जिलाध्यक्ष द्वारा आदेश पारित करने में इस तथ्य की भी अनदेखा की गई है कि प्रकरण में सामान्य विधि का प्रश्न विचाराधीन है और इस तरह के प्रश्न से अनेक मामलों के पक्षकारों पर प्रभाव पड सकता है । गरीब पक्षकार ऐसे प्रश्न के परिणामों से प्रभावित हो सकते हैं छोटे–छोटे मतभेद होने पर एक कृषक अपने खेत की मेढ से दूसरे कृषक को आने–जाने से मना कर सकता है तब प्रत्येक कृषक को धारा 131 का मुकदमा लड़ना पड़ सकता है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1969 आर. एन. 629 का संदर्भ दिया गया है । लिखित तर्कों में यह भी कहा गया कि यदि विधि विपरीत निष्कर्ष हों तो उनमें पुनरीक्षण मे हस्तक्षेप किया जा सकता है और इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1995 आर.एन. 331 उच्च न्यायालय एवं 1999 आर.एन. 223 उच्च न्यायालय को उद्धरित किया गया है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा दोनो अपीलीय न्यायालय के निर्णयों को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि कलेक्टर, छिंदवाडा द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है उन्होंने स्पष्ट किया है कि पगडन्डी रास्ता राजस्व नक्शा शीट पर अंकित नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 253 के तहत नवीन रास्ता कायम करने का जो आदेश दिया है वह संहिता के नियमों के विपरीत है । अतः कलेक्टर का जो आदेश है वह उचित है जिसे स्थिर रखने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है ।

यह तर्क दिया गया कि हल्का पटवारी पवन मालवी के शपथपूर्वक कथन के प्रतिपरीक्षण में मौके पर पगडन्डी रास्ता नहीं होने का उल्लेख है इसके पश्चात हल्का पटवारी अजय कुमार उईके ने अपने कथन में वर्तमान में जो नक्शा है उसमें किसी प्रकार की पगडन्डी व रास्ता नहीं होने का उल्लेख किया है । इस कारण एस.डी.ओ. ने नवीन रास्ता कायम करने तथा रास्ते का अवरोध

हटाया जाकर 3000/– रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने का जो आदेश दिया है वह त्रुटिपूर्ण है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने निस्तार पत्रक की प्रति में रास्ते का उल्लेख नहीं होना पाया है । तत्कालीन पटवारी के कथनों तथा स्थल पंचनामा व नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि खसरा नं. 47/2 से पगडन्डी रास्ता अनावेदक के खेत खसरा नं. 42/3 से होकर मुख्य सड़क तक जाता है । निस्तार पत्रक एवं पटवारी कथन दिनांक 16-11-1.. में मौका निरीक्षण कर स्थल पंचनामा तैयार किया गया नक्शे में लाल रंग ही से अंकित पगडन्डी रास्ता है जो बाद में लाल स्याही से अंकित है । मूल नक्शे में दर्शित नहीं है । इस कारण निस्तार पत्रक के पृष्ठ क्रमांक 43 पर पैदल आने जाने के अधिकार में मेंढ़ का उपयोग करने का उल्लेख है परंतु वर्तमान नक्शे में इस प्रकार का पगडन्डी या रास्ता खसना नं. 4, 15/.. एवं 51/2 में दर्ज नहीं है । इस कारण आवेदक की निगरानी निरस्तनीय है ।

यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान एवं पूर्व पटवारी के ब्यान से खसरा नं0 47 में पगडन्डी या रास्ता दर्ज नहीं है । इसी परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष सही हैं कि उभयपक्ष के बीच रास्ते का विवाद है और ऐसे विवाद के लिए समुचित व्यवस्था संहिता की धारा 131 में की गई है । संहिता की धारा 253 के तहत निस्तार पत्रक के उपबंधों के आधार पर एस.डी.ओ. को निर्णय पारित करने की अधिकारिता नहीं है । उक्त आधार पर निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 253 का है । संहिता की धारा 253 में यह उपबंध किया गया है कि --

" संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी व्यक्ति जो अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा या उन किन्हीं नियमों के बाजिब-उल-अर्ज में जो की गई किसी शर्त का उल्लंधन करेगा या उसका अनुपालन नहीं करेगा या निस्तार पत्रक में की गई किसी प्रविष्टि को भंग करेगा 50 रूपए से अनधिक ऐसी शास्ति का

दायी होगा जैसी की उपखंड अधिकारी, ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उचित समझे ।"

इस प्रकरण में आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें उसने यह उल्लेख किया है कि वह अपने भूमिस्वामित्व की भूमि खसरा नं 47/2, 51/2 पर आने जाने एवं काश्तकारी सामान ले जाने हेतु अनावेदक की भूमि खसरा नं. 42/3 की दक्षिणी मेढ़ से निस्तार कई वर्षो से करता आ रहा है जिसकी प्रविष्टि निस्तार पत्रक में दी गई है । दिनांक 01-1 –10 को आवेदक खसरा नं 42/3 की दक्षिणी मेढ़ से अपने खेतों से बैल एवं मवेशी गाय आदि चराने ले जाने से अनावेदक द्वारा रोक दिया एवं सत्यानाशी के पौधे लगा दिये जिसकी रिर्पोट उसने थाने में की । आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि निस्तार बंद कर देने के कारण झगड़ा की संभावना बनी हुई है इसलिए अनावेदक का कृत्य संहिता की धारा 253 के तहत दंडनीय है । इस पर से एस.डी.ओ. द्वारा उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर यह आदेश दिया कि अनावेदक बेना बंजारे द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 42/3 की दक्षिणी मेढ़ से रूढ़िगत रास्ते को पत्थर रखकर एवं नाली बनाकर दिनांक 01-10–10 को बंद कर दिया है जिससे आवेदक का रास्ता अवरूद्ध है जबकि यह रूढ़िगत रास्ता है जिसे बंद नहीं किया जा सकता । प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत है । कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने प्रकरण में विधि अनुसार विचार नहीं किया गया है और उनके द्वारा उपरोक्त विवाद को संहिता की धारा 131 का बताया गया है जबकि वास्तविक रूप में विवाद संहिता की धारा 253 का है । संहिता की धारा 131 में उन विवादों का निराकरण किया जाता है जो निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं होते हैं जबकि संहिता की धारा 253 में वह विवाद आते हैं जिनका निस्तार पत्रक में उल्लेख होता है । ग्राम के निस्तार पत्रक के पृष्ठ कमांक 43 की प्रति अपर आयुक्त के प्रकरण के पृष्ठ 23 पर संलग्न है जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि काश्तकार एक दूसरे की मेढ़ पर से अपना खेत जोतने बोने के लिए मवेशी और काश्तकारी औजार आम तौर पर बिना रोक टोक ले जाते हैं । कलेक्टर एएवं अपर आयुक्त ने कृषकों को निस्तार पत्रक में दी गई उक्त सुविधा की अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया गया है जो न्यायिक एवं विधिसम्ममत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । ग्राम के वाजिब–उल–अर्ज में प्रविष्टि नियम तथा रूढ़ियों का पालन किया जाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है । इनमें यदि किसी कार्य को किसी समय करने का उपबंध किया गया हो और वह

उस रूप में उस समय न किया जाये तो वह उस नियम का कायेद का अनुपालन न करना माना जायेगा । ऐसे नियमों या रूढ़ि में यदि किसी कार्य को करने का निषेध हो अथवा किसी विशिष्ट रीति से विशिष्ट प्रयोजन के लिए करने का उपबंध हो तब उसे न करना अथवा निर्दिष्ट रूप में विपरीत करना ऐसे नियम का रूढ़ि का उल्लंघन माना जायेगा और ऐसे दोनों कृत्यों के लिए उपखंड अधिकारी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1963 आर.एन. 141 एवं 1987 आर.एन. 17[illegible] अवलोकनीय है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियो पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण न्यायिक एवं विधिसम्मत है जिसे निरस्त करने में दोनो अपीलीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है, इस कारण उक्त आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–3–14 एवं कलेक्टर, छिंदवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–1–13 विधिसगत न होने के कारण निरस्त किए जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी, अमरवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक [illegible]–5–12 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर